[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2023 का विधेयक संख्यांक 46

[दि सिनेमेटोग्राफ (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023

चलचित्र अधिनियम, 1952
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्‌वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना

द्वारा नियत करे ।

कतिपय अभिव्यक्तियों के प्रति कतिपय अन्य अभिव्यक्तियों के निर्देश का अर्थान्वयन ।

2. संपूर्ण चलचित्र अधिनियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, '"अनिर्बंधित वयस्क" प्रमाणपत्र' शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर 'किसी, "अनिर्बंधित वयस्क" मार्कर के साथ "अनिर्बंधित वयस्क" प्रमाणपत्र' शब्द रखे जाएंगे । 1952 का 37

धारा 1 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (घघ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(घघघ) "अतिलंघनकारी प्रति" का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (ii) में है ;'; 1957 का 14

(ii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(i) "अनिर्बंधित वयस्क मार्कर" से किसी फिल्म के लिए आयु आधारित उपदर्शक अभिप्रेत है, जिसे धारा 4 के अधीन अनिर्बंधित वयस्क प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है या प्राप्त होने की प्रत्याशा है और ऐसा उपदर्शक 'अनिर्बंधित वयस्क प्रमाणपत्र 7+' या 'अनिर्बंधित वयस्क प्रमाणपत्र 13+' या 'अनिर्बंधित वयस्क प्रमाणपत्र 16+'हो सकेगा :

परंतु जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसे अन्य उपदर्शकों की घोषणा कर सकेगी ।'।

धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

फिल्मों का परीक्षण ।

"4. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी फिल्म को प्रदर्शित करना चाहता है, प्रमाणपत्र के लिए बोर्ड को ऐसे प्ररूप और रीति में आवेदन करेगा, जो विहित की जाए।

(2) बोर्ड फिल्म की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने के पश्चात्,—

(i) अनिर्बंधित लोक प्रदर्शन के लिए फिल्म को मंजूरी प्रदान करेगा :

परंतु फिल्म में किसी सामग्री के संबंध में यदि बोर्ड की यह राय है कि ऐसी फिल्म का 7 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के किसी बालक द्वारा देखा जाना माता-पिता या विधिक संरक्षक के मार्गदर्शन की शर्त के अधीन है तो बोर्ड फिल्म को अनिर्बंधित लोक प्रदर्शन के लिए उस पृष्ठांकन के साथ

अनिर्बंधित वयस्क मार्कर के साथ मंजूरी प्रदान कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि—

(क) "सात" पद से सात वर्ष की आयु पूरी करना और "अठारह" पद से अठारह वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने से पूर्व द्योतक है ;

(ख) बोर्ड द्वारा पृष्ठांकन बालक के माता-पिता और विधिक संरक्षक को इस पर विचार करने में समर्थ बनाएगा कि क्या ऐसे बालक को ऐसी फिल्म को देखना चाहिए और उसको बालक के माता-पिता या विधिक संरक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जाएगा ;

(ii) वयस्कों के लिए निर्बंधित करते हुए लोक प्रदर्शन के लिए फिल्म को मंजूरी प्रदान करेगा ;

(iii) फिल्म की प्रकृति, अंतर्वस्तु और विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए किसी वृति के सदस्यों या व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए निर्बंधित करते हुए फिल्म के लोक प्रदर्शन को मंजूरी प्रदान करेगा ;

(iv) आवेदक को फिल्म में ऐसी छंटाई या उपांतरण करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो फिल्म को खंड (i), खंड (ii)और खंड (iii) के अधीन लोक प्रदर्शन के लिए फिल्म को मंजूरी प्रदान करने से पूर्व आवश्यक समझे ;

(v) लोक प्रदर्शन के लिए फिल्म को मंजूरी प्रदान करने से इंकार करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक को इस विषय में सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

(3) दूरदर्शन या ऐसे अन्य माध्यम, जो विहित किए जाएं, पर किसी फिल्म, जिसे बोर्ड द्वारा उपधारा (2) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन मंजूरी प्रदान की गई है, को प्रदर्शित करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति बोर्ड को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा तथा बोर्ड इस प्रयोजन के लिए, आवेदक को फिल्म में ऐसी छंटाई या उपांतरण, जो वह उचित समझे, करने का निदेश देने के पश्चात् फिल्म को पृथक् प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा ।

धारा 5क का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (3) में, "दस वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 6 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, "उपधारा (1) के अधीन अपने को प्रदत शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 6कक का और धारा 6कख का अंत:स्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अप्राधिकृत अभिलेखन का प्रतिषेध ।

'6कक. कोई भी व्यक्ति फिल्मों के प्रदर्शन के लिए अनुज्ञप्त स्थान पर ऐसी फिल्म या उसके किसी भाग की किसी अतिलंघनकारी प्रति को बनाने या पारेषित करने का आशय या उसको बनाने का या पारेषित करने का प्रयास करने या बनाने या पारेषित करने का उत्प्रेरण करने के लिए किसी श्रव्य-दृश्य अभिलेखन युक्ति का उपयोग नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "श्रव्य-दृश्य अभिलेखन युक्ति" पद से कोई डिजिटल या एनालोग चलचित्र या वीडियो कैमरा या कोई अन्य प्रौद्योगिकी या युक्ति, जो किसी प्रतिलिप्यधिकार युक्त चलचित्र फिल्म या उसके किसी भाग का अभिलेखन या पारेषण करने में इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या श्रव्य-दृश्य अभिलेखन युक्ति का एकमात्र या प्राथमिक प्रयोजन है, अभिप्रेत है ।

फिल्मों के अप्राधिकृत प्रदर्शन का प्रतिषेध ।

6कख. कोई व्यक्ति लाभ के लिए किसी फिल्म की किसी अतिलंघनकारी प्रति का पब्लिक के लिए उपयोग नहीं करेगा या उपयोग का उत्प्रेरण नहीं करेगा,—

(क) प्रदर्शित करने के किसी स्थान पर जिसको इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्त नहीं किया गया है ; या

(ख) ऐसी रीति में, जो प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन है ।'।

धारा 7 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(1क) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 52 में यथा उपबंधित के सिवाय, यदि कोई व्यक्ति धारा 6कक या धारा 7कख के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगा किंतु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो लेखा परीक्षित सकल उत्पादन लागत के पांच प्रतिशत तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा । 1957 का 14

(1ख) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(i) धारा 6कक के अधीन किसी उल्लंघन द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 51 के अधीन किसी अतिलंघन के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के अधीन कंप्यूटर संबंधी अपराधों या तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य सुसंगत विधियों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करने से निवारित नहीं किया जाएगा ; 1957 का 14 2000 का 21

(ii) समुचित सरकार या उसके अभिकरणों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ब) के अधीन यथापरिभाषित किसी मध्यवर्ती के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने से वहां निवारित नहीं किया जाएगा, जहां ऐसा मध्यवर्ती उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा अधिकथित रीति में कार्य करता है । 2000 का 21

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "समुचित सरकार" पद का

2000 का 21

वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में है ।'।

धारा 8 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) बोर्ड को धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(गक) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन फिल्म का परीक्षण करने की रीति ;

(गख) फिल्म का प्रदर्शन करने के लिए माध्यम और बोर्ड को इस संबंध में धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चलचित्र अधिनियम, 1952 (अधिनियम), चलचित्र फिल्मों के प्रदर्शन के प्रमाणन के लिए और चलचित्रों के माध्यम से प्रदर्शन को विनियमित करने के लिए उपबंध बनाने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था ।

2. सिनेमा का माध्यम, साधन, उससे सहबद्ध प्रौद्योगिकी और इसके दर्शकों में समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाणन की प्रक्रिया का समकालीन होना आवश्यक है ताकि प्रक्रिया को बदलते समय के अनुसार किया जा सके । इसके अतिरिक्त फिल्म उद्योग नई डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन, सिनेमा थियेटरों में जाने वाले लोगों की संख्या में कमी, इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्मों की चोरी में वृद्धि, प्रतिलिप्याधिकार उल्लंघन और सदृश के कारण प्रभावी हुआ है, जिससे राजकोष को नुकसान भी कारित हुआ है ।

3. चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2023, फिल्म प्रमाणन से संबंधित मुद्दों का समग्र रूप से समाधान करने के लिए लक्ष्यित है । विधेयक—

(i) फिल्मों के अप्राधिकृत अभिलेखन और प्रदर्शन के मुद्दे का समाधान करने तथा इंटरनेट पर अप्राधिकृत प्रतियों के पारेषण द्वारा फिल्म चोरी की बुराई पर रोक लगाने ;

(ii) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा लोक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की प्रक्रिया में सुधार करने के साथ फिल्मों के प्रमाणन के वर्गीकरण में सुधार करने ; और

(iii) कार्यपालक आदेशों, न्यायिक निर्णयों और अन्य सुसंगत विधानों के अनुरूप विधि को अनुकूल बनाने,

का प्रयास करता है ।

4. चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2023, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :—

(क) फिल्मों की जांच से संबंधित अधिनियम की धारा 4 को प्रतिस्थापित करने के लिए जिससे "अनिर्बंधित वयस्क मार्कर" श्रेणी में तीन आयु आधारित श्रेणियां अर्थात् "अनिर्बंधित वयस्क प्रमाणपत्र 7+", "अनिर्बंधित वयस्क प्रमाणपत्र 13+", "अनिर्बंधित वयस्क प्रमाणपत्र 16+" पुरःस्थापित की जा सकें और बोर्ड को दूरदर्शन या ऐसे अन्य माध्यम पर उसके प्रदर्शन के लिए पृथक् प्रमाणपत्र के साथ फिल्म को मंजूरी देने के लिए भी सशक्त किया जा सके ;

(ख) अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए जिससे केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाणपत्र को शाश्वत वैधता प्रदान की जा सके ;

(ग) भारत संघ बनाम के.एम.शंकरप्पा के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, केन्द्रीय सरकार की पुनरीक्षण करने की शक्तियों से संबंधित अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) का लोप किया जा सके ; और

(घ) क्रमशः "अप्राधिकृत अभिलेखन का प्रतिषेध" और "फिल्मों के अप्राधिकृत प्रदर्शन का प्रतिषेध" से संबंधित नई धारा 6कक और धारा 6कख अंतःस्थापित की

जा सके ।

प्रस्तावित संशोधन, वर्तमान समय के अनुकूल प्रमाणन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएंगे और समग्र रूप से फिल्म चोरी की बुराई पर रोक लगाएंगे और इस प्रकार फिल्म उद्योग के तीव्र वर्धन में सहायता करेंगे और क्षेत्र में नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देंगे ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उदेद्श्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
26 मई, 2023

अनुराग सिंह ठाकुर

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है तो इसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई वित्तीय व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

उपाबंध

चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 37) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

1. (1)   *   *   *   *   *

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

(3) यह अधिनियम उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु भाग 1और भाग 2 का जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवर्तन, चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पश्चात्, उसी तारीख को होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

1973 का 26

*   *   *   *   *   *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

*   *   *   *   *   *

(घघ) "फिल्म" से चलचित्र फिल्म अभिप्रेत है ;

*   *   *   *   *   *

4. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी फिल्म को प्रदर्शित करना चाहता है, उसकी बाबत प्रमाणपत्र के लिए बोर्ड को विहित रीति से आवेदन करेगा और बोर्ड उस फिल्म का विहित रीति में परीक्षण करने या परीक्षण करवाने के पश्चात्,—

फिल्मों का परीक्षण ।

(i) उस फिल्म को अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे सकेगा :

परन्तु फिल्म की किसी विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए, यदि बोर्ड की राय में इस बात की चेतावनी देना आवश्यक है कि 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को ऐसी फिल्म को देखने के लिए अनुज्ञात किया जाए अथवा नहीं, इस प्रश्न पर ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक द्वारा विचार किया जाना चाहिए, तो बोर्ड ऐसी फिल्म को उस आशय के पृष्ठांकन सहित अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे सकेगा ; या

(ii) उस फिल्म को वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे सकेगा ; या

(iiक) फिल्म की प्रकृति, अन्तर्वस्तु और मूल भाव को ध्यान में रखते हुए ऐसी फिल्म को किसी वृत्ते के सदस्यों या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रर्दशन के लिए मंजूरी दे सकेगा ; या

(iii) पूर्वगामी खण्डों में से किसी के अधीन फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने से पूर्व फिल्म में ऐसी काटछांट या उपान्तर जो वह आवश्यक समझे, करने के लिए आवेदक को निदेश दे सकेगा : या

(iv) उस फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने से इन्कार कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (i) के परन्तुक, खण्ड (ii), खण्ड (iiक), खण्ड (iii) या खण्ड (iv) के अधीन बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही आवेदक को उस मामले में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

* * * * * *

फिल्मों का प्रमाणन ।

5क. (1) * * * * *

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र भारत में सर्वत्र दस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

* * * * * *

केन्द्रीय सरकार की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति ।

6. (1) इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार स्वप्रेरणा से किसी भी प्रक्रम पर किसी फिल्म के संबंध में किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगी जो बोर्ड के समक्ष लम्बित है या जिसका बोर्ड ने विनिश्चय कर दिया है या, यथास्थिति, अधिकरण ने विनिश्चय कर दिया है (किन्तु जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे मामले से संबंधित कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो अधिकरण के समक्ष लम्बित है) और उस मामले में ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे और बोर्ड उस मामले का निपटारा ऐसे आदेश के अनुरूप करेगा :

परन्तु, यथास्थिति, प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर या ऐसे व्यक्ति पर जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश, उसको उस मामले में अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह ऐसे किसी तथ्य को प्रकट करे जिसे प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध समझती है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि,—

(क) कोई फिल्म जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है, सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग में अप्रमाणित फिल्म समझी जाएगी ; या

(ख) कोई फिल्म जिसे "अनिर्बन्धित" प्रमाणपत्र या "अनिर्बन्धित वयस्क" प्रमाणपत्र या "विशेष" प्रमाणपत्र] दिया गया है ऐसी फिल्म समझी जाएगी जिसकी बाबत "वयस्क" प्रमाणपत्र दिया गया है ; या

(ग) किसी फिल्म का प्रदर्शन ऐसी अवधि के लिए निलम्बित कर दिया जाए जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन जारी किया गया कोई निदेश अधिसूचना की तारीख से दो मास से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

* * * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

8. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन बनाए गए नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(ग) बोर्ड को प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की रीति और ऐसी रीति जिसमें बोर्ड द्वारा किसी फिल्म का परीक्षण किया जाएगा और उसके लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीसें ;

* * * * * *

MGIPMRND—114RS(CRC)—14-07-2023.